

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3703 / एफ-7-6 / 31 / एस-2 / 2025,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 13 / 08 / 2025

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

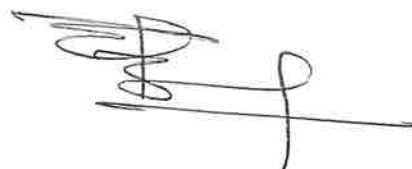
विषय :- जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड-सक्ती अंतर्गत लोकल नाला पर भालूडेरा स्टापडेम सह रपटा का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक=3068 / बो.प्र./AA/TS / मि.ह.बांगो / 2025 / 1062, दिनांक 31.01.2025.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड-सक्ती अंतर्गत लोकल नाला पर भालूडेरा स्टापडेम सह रपटा का निर्माण कार्य हेतु लागत **रु. 295.16 लाख** (रुपये दो करोड़ पन्चानवे लाख सोलह हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करता है :-

1. योजना से निस्तारी, भू-जल संवर्धन के साथ ही 50 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।
2. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45, लघु सिंचाई निर्माण कार्य 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102}-भू-तल जल, 0101, राज्य आयोजना (सामान्य), (5059)-एनीकट / स्टापडेम निर्माण #26-वृहद निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
3. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।
4. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
5. कार्य की ड्रॉईंग व डिजाईन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाये।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (T.S.) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाये तथा कार्य नियमावली एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये।
7. प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही की जाये।
8. कार्य में यदि भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जाये। किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।
9. यदि कार्य में भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है तो प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। भूमि का आबंटन सक्षम अधिकारी से करा लिया जाये।

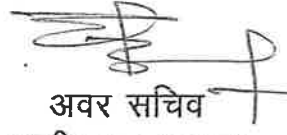


- G:\Dassanmann sir folder\5 Folder\Letter\Adesh Letter Folder\Adesh final AA 2023.docx

पृ.क्र. 3704 / एफ-7-6 / 31 / एस-2 / 2025,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 13 / 08 / 2025

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना बांध मंडल खरसिया, जिला-रायगढ़।
 14. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-6, सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

